लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2233

02 दिसंबर, 2019 को उत्तर के लिए

फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड में अनियमितताएं

2233. श्री अजय निषादः

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने इस बात का संज्ञान लिया है कि फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) के वर्तमान प्रबंध निदेशक ने षड़यंत्र के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग के दर्जनों स्थायी कर्मचारियों/अधिकारियों को नौकरी से निष्कासित कर दिया है और यदि हां, तो विगत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान वर्ग-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या प्रबंध निदेशक ने झूठे मामले दर्ज करके कर्मचारियों पर अनुचित दबाव डालकर तथा झूठे गवाहों आदि के द्वारा कर्मचारियों/ अधिकारियों को नौकरी से निष्कासित किया है और यदि हां, तो सरकार को ऐसी शिकायतें प्राप्त हुईं हैं;

(ग) यदि हां, तो कर्मचारियों/अधिकारियों को न्याय प्रदान करने के लिए उक्त प्रबंध निदेशक के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने प्राप्त शिकायतों को सीवीओ, एमएसटीसी/एफएसएनएल को जांच हेतु अग्रसारित किया जाता है और सीवीओ प्रबंध निदेशक के विरुद्ध प्राप्त भ्रष्टाचार की शिकायतों के निगरानी अधिकारी एफएसएनएल को अग्रसारित कर देता है और क्या निगरानी अधिकारी की नियुक्ति प्रबंध निदेशक, एफएसएनएल द्वारा की जाती है और यदि हां, तो क्या प्रबंध निदेशक द्वारा नियुक्त निगरानी अधिकारी द्वारा निष्पक्ष जांच की जा सकती है; और

(ङ) क्या सरकार ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने हेतु कोई नया प्रावधान बनाया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात मंत्री **(श्री धर्मेंद्र प्रधान)**

(क): एफएसएनएल के कर्मचारियों को सेवाओं से हटाने/उनकी सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई केवल एफएसएनएल के आचरण, अनुशासन और पुनरावेदन नियमावली/स्थायी कार्य आदेशों के

प्रावधानों के तहत विभागीय जाँच कार्यवाही में गंभीर कदाचार के आरोप सिद्ध होने के उपरांत की जाती है। पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान बर्खास्त कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है:

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	श्रेणी	सेवा से हटाने का कारण
2016-17	1	एससी	लंबे समय तक अनुपस्थिति
2017-18	1	सामान्य	अनुशासनहीन आचरण (अपीलीय प्राधिकरण ने दंड को घटाकर निंदा में परिवर्तित कर दिया। 06.12.2018 को सेवा में पुनः बहाली की गई।)
	1	ओबीसी	उपद्रवी एवं अनुशासनहीन व्यवहार
2018-19	1	अल्पसंख्यक	लंबे समय तक अनुपस्थिति
2019-20 (आज तक)	1	एससी	लंबे समय तक अनुपस्थिति
	1	ओबीसी	लंबे समय तक अनुपस्थिति

(ख) और (ग): उपर्युक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता है।

(घ) और (ङ): सरकार को प्राप्त होने वाली शिकायतों को जाँच और टिप्पणी के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ), एफएसएनएल को भेजा जाता है जो वस्तुस्थिति का पता लगाते हैं और सतर्कता अधिकारी की शिकायत पर अपनी रिपोर्ट देते हैं। मामले की जाँच के उपरांत सीवीओ, एफएसएनएल अपनी टिप्पणी तथा निष्कर्ष मंत्रालय को प्रस्तुत करते हैं। सरकार द्वारा सीवीओ की नियुक्ति संगठन के बाहर से एक तय अवधि के लिए की जाती है। अन्य अधिकारी तथा कर्मचारी संगठन द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं परंतु वे सीवीओ को रिपोर्ट करते हैं। एफएसएनएल में मॉनीटरिंग अधिकारी का कोई पद नहीं है।

****